

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेमक

डॉ० (श्रीमती) रज्जा जम,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सेंटर फॉर साइंटिफिक ए/31
पी०सी० कोलनी कालोनी
बिहाईड ग्रेवीटी गार्ड
नियर ओल्ड रिवाड़ी रोड
पटना 800020

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा उत्तराधिकारी का विवरण	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम नगेश्वरी सिंह पिता—स्व० मधेश सिंह ग्राम—8 एल०/25 बिहाईड जोलजीकल सर्वे आफ इंडिया पो०—बी०एच० कोलनी थाना—अगमकुआ जिला पटना	रेटिना सर्जरी	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 40,000/- (चालीस हजार) मात्र का क्रास चेक स० 002639..... मूल रूप में सलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिना के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक पत्र

ज्ञापक 1145-14)

पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना (तीन प्रतियां में) / आर० सं० 10 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
22/4/2026

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अजीत कुमार
पिता- अजय प्रसाद
गाम- मुरारपुर निकट देवी स्थान मंदिर
पो०- बिहार शरीफ
थाना- लहेरी
जिला- नालदा
पिनकोड- 803101

पटना, दिनांक . . .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अजीत कुमार पिता- अजय प्रसाद गाम- मुरारपुर निकट देवी स्थान मंदिर पो०- बिहार शरीफ थाना- लहेरी जिला- नालदा पिनकोड- 803101	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 30676103844, खाता धारक का नाम- AJEET KUMAR, खाते का प्रकार-REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- BIHAR SHARIF BAZAR, IFSC कोड सं०- SBIN0001216 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1178(14)

पटना, दिनाक 22/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 ~~002677~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22/4/26
निदेशक प्रमुख

Generally used abbreviations

a/c = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Change
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Saving Bank
chg/ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instructor
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/H
coll = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commision	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+ MOD bal = total balance (SB+link



भारतीय स्टेट बैंक

Email: sbi 012169561@gmail.com
Phone No - 222731
IFSC: SBIN0001216

State Bank of India


Branch: H.No. 10/30-10-18/10000
MTCR - 807002007

Name: Mr. AJEET KUMAR
S/D/H/o : SRI AJAY PRASAD
TIF Number - 85447684194
Account No.: 70676103844
A/c Type - RECURRING SAVI SB BANK ACCOUNT
Address - S/O- AJAY PRASAD, AT-MATHURIA MOHAYA
NEAR [EV] STHAN MANDIR
TILAKSHARIF, DIST-NALANDA
Phone No. - 07849615143
Email : kumar.ajeet131@gmail.com
I.O.B. (If Minor):
PO Number :

LOP: SINGLE
A/c Opening Dt: 11/01/2019
Nom Reg No:
Customer's PAN: STJPSY7100
Date of Issue: 19/03/2020
CONTINUATION


शाखा प्रबंधक
Branch Manager





364. 25 / BLUE BEARER (R 09/JUL/2021
SESHAASAI (K) CTS-2010

(01216)-BIHAR SHARIF BAZAR
MAHATMA GANDHI ROAD
BIHARSHARIF DIST NALANDA BIHAR 803101
Tel 6112 222731 Fax IFS Code SBIN001216 SWIFT



CANCELLED

30676103844

VALID UPTO ₹ 10 LACS AT NON-HOME BRANCH FOR NON-CASH TRANSACTION ONLY

SB ACCOUNT
PREFIX .
1516200009

44830167603

Mr. AJEET KUMAR

⑈349217⑈ 803002003⑈ 014280⑈ 3⑈

Name - Ajeet kumar
Account - 30676103844
Type - Saving
IFSC - SBIN001216
Branch - Bihar Sharif B9292

सं० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

राजेश कुमार रमन
पिता- योगेन्द्र प्रसाद सिंह
ग्राम- परबत्ती
पो०- भागलपुर सिटी
थाना- यूनवर्सिटी
जिला- भागलपुर
पिनकोड- 812002

पटना, दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार रमन पिता- योगेंद्र प्रसाद सिंह ग्राम- परबत्ती पो०- भागलपुर सिटी थाना- यूनवर्सिटी जिला- भागलपुर पिनकोड- 812002	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 8250194692, खाता धारक का नाम- RAJESH KUMAR RAMAN, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- KOTAK MAHINDRA BANK, शाखा का नाम- BHAGALPUR- PATEL BABU ROAD, IFSC कोड सं०- KKBK0005754 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख



ज्ञापाक 1177 (14)

पटना, दिनाक 22/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.002611...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक, प्रमुख



Name नाम: _____

Name नाम: _____



CRN : 982015616
Account Number : 8250194692
Name(s) : Rajesh Kumar Raman
Address : S-O: Yogendra Prasad Singh
jamtikri road naya bazar
prabatti Jagdishpur Bhagalpur BHAGALPUR -
812002
Bihar INDIA


Mode of Operation : SINGLY
Branch Name : BHAGALPUR - PATEL BABU ROAD
Branch Code : 5754
Branch Address : KOTAK MAHINDRA BANK LTD
ANGAR COMPLEX
HOLDING NO- 56 PATAL BABU ROAD
BHAGALPUR - 812001
Bihar INDIA

Preferred Contact No. : 9709836851
Account Opening Date : 01-Oct-2025
Nominee Registered : Yes
Nominee Name :


(As Registered With the Bank)

Branch Tel. No. : 8976331579
Branch MICR : 812485002
Branch IFSC : KKBK0005754





- 4- यह कि मैं गरीबी रेषा के अंतर्गत आता हूँ। गरीबी रेषा वाहन करने वाले को सरकारी प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री मेडिसीन स्थान की ओर से अनुदान राशि दी जाती है। लेकिन मुझे अनुदान की राशि दी जाय मैंने मुख्यमंत्री मेडिसीन स्थान फंड से गुरदा प्रत्यारोपन करवाया हूँ।
- 5- यह कि मैंने मुख्यमंत्री स्थान फंड से 2,75,000/- दो लाख पचहत्तर हजार प्राप्त कर लिया हूँ।
- 6- यह कि मैंने मुख्यमंत्री मेडिसीन स्थान से दवाई का खर्च नहीं लिया है।
- 7- यह कि मेरा बचत खाता स०- 8250194692 आई एफ एस सी. कोड के के बी. के. 0005754 है। जो कि कोटक शाखा पटेल बाबू रोड भागलपुर में है।
- 8- यह कि मैं दवाई के लिए मुख्यमंत्री मेडिसीन फंड स्थान से अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु उक्त शपथ पत्र बनवा रहा हूँ।
- 9- यह कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त बयान बिल्कुल सही है। गलत पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार वो दोषी बनूंगा।



राजेश कुमार शर्मा

शपथकर्ता

पहचानकर्ता


चन्दन कुमार कर्ण

जि-667/11 अधिवक्ता
अधिवक्ता।

चन्दन कुमार कर्ण

अधिवक्ता
पंजीयन सं०-667/2011
दीवानी एवं फौजदारी
नो०-9973756068, 9470053568

30/03/2026



Sanjiv Kumar Sharma
Notary Public, Bihar (India)
Reg. No. 6562J
Office: ...
Bhagalpur

Sanjiv Kumar Sharma
Notary Public, Bihar (India)

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

संजय सहनी
पिता- दरेश सहनी
ग्राम- फकीराडीह
पो०+थाना- गायघाट
जिला- मुजफ्फरपुर
पिनकोड- 847107

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	संजय सहनी पिता- दरेश सहनी ग्राम- फकीराडीह पो०+थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर पिनकोड- 847107	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 31065104084, खाता धारक का नाम- SANJAY SAHNI, खाते का प्रकार-REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- KANTA, IFSC कोड सं०- SBIN0008393 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1176(14)


पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

ABBREVIATIONS



- 1 - Police /
- 2 - Proceeding Charge /
- 3 - Police / District /
- 4 - Police /
- 5 - Police /
- 6 - Police /
- 7 - Police /
- 8 - Police /
- 9 - Police /
- 10 - Police /
- 11 - Police /
- 12 - Police /
- 13 - Police /
- 14 - Police /
- 15 - Police /
- 16 - Police /
- 17 - Police /
- 18 - Police /
- 19 - Police /
- 20 - Police /

- 1 - Police /
- 2 - Police /
- 3 - Police /
- 4 - Police /
- 5 - Police /
- 6 - Police /
- 7 - Police /
- 8 - Police /
- 9 - Police /
- 10 - Police /
- 11 - Police /
- 12 - Police /
- 13 - Police /
- 14 - Police /
- 15 - Police /
- 16 - Police /
- 17 - Police /
- 18 - Police /
- 19 - Police /
- 20 - Police /

- 1 - Police /
- 2 - Police /
- 3 - Police /
- 4 - Police /
- 5 - Police /
- 6 - Police /
- 7 - Police /
- 8 - Police /
- 9 - Police /
- 10 - Police /
- 11 - Police /
- 12 - Police /
- 13 - Police /
- 14 - Police /
- 15 - Police /
- 16 - Police /
- 17 - Police /
- 18 - Police /
- 19 - Police /
- 20 - Police /




STATE BANK OF INDIA


BRANCH: ...

Name: ...
 Address: ...
 Account No: ...
 Date: ...
 Signature: ...
 Branch: ...

...



STATE BANK OF INDIA



समक्ष,

लेख्य प्रमाणक,

मुजफ्फरपुर।

शपथ-पत्र

मैं, संजय सहनी, पिता-दरेश सहनी, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम-फकीरा
डीह, पोस्ट-गायघाट, थाना-गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर, 847107 (बिहार)

शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ -

- 1 यह कि मैं उपरोक्त पता का स्थायी निवासी हूँ।
- 2 यह कि मैं दिनांक 30.12.2025 को पी0जी0आई0 चण्डीगढ अस्पताल मे किडनी ट्रांसप्लांट करवाया हूँ जिसका पंजीयन सं0-सी.आर. 202503296716 किडनी ट्रांसप्लांट नं0-5301 है। उक्त वक्त बिहार सरकार द्वारा अनुदान राशि भी मिला था।
- 3 यह कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मेडिकल सहायता राशि प्राप्त करने हेतु यह शपथ-पत्र दाखिल कर रहा हूँ।
- 4 यह कि मैं संजय सहनी खाता सं0-31065104084 IFSC Code SBIN0008393 है स्वयं संजय सहनी के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा-कॉटा, जिला-मुजफ्फरपुर, राज्य-बिहार मे खाता दर्ज है।

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

पायल कुमारी
पति- पंकज शर्मा
ग्राम- रामजी चक दीघा
पो०- बाटा गज
थाना- दीघा
जिला- पटना
पिनकोड- 800018

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पायल कुमारी पति- पंकज शर्मा ग्राम- रामजी चक दीघा पो०- बाटा गज थाना- दीघा जिला- पटना पिनकोड- 800018	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 281312010001962, खाता धारक का नाम- PAYAL KUMARI, खाते का प्रकार- DIGITAL SB GENERAL, बैंक का नाम- UNION BANK OF INDIA, शाखा का नाम- DANAPUR, IFSC कोड सं०- UBIN0828131 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1175(14)

पटना, दिनाक 22/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002611... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख

- 2 पास बुक की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करे पास बुक गुम होने, चोरी होने, नष्ट होने या कटफट जाने पर डुप्लीकेट पास बुक हेतु आवेदन करे डुप्लीकेट पास बुक नाममात्र के प्रभार पर जारी की जाती है.

Ensure safe custody of the pass book. In case it is lost, stolen, destroyed or spoilt, make an application for issuance of a duplicate pass book. Duplicate pass book is issued with nominal charge.

चेक बुक की सुरक्षा: Cheque book safeguards

- 1 चेक लिखते समय स्थायी स्याही (बालपेन) का प्रयोग करे
While writing a cheque, use permanent ink (ball pen)
- 2 चेक पर आदाता के नाम एवं रकम के बाद शेष बची खाली जगह में एक रेखा खींच दें.
After payee's name and amount, please draw a line in the space left on the cheque
- 3 चेक में सभी ब्योरे लिखने एवं उनके सत्यापन के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करे
A cheque should be signed after all details filled in and verified
- 4 एमआईसीआर पट्टी पर कुछ न लिखे
Do not write on the MICR strip
- 5 चेक किसी को प्रदान करने से पूर्व ऊपरी बाए कोने पर दो समानांतर रेखाएँ खींच कर चेक को रेखांकित कर दे. रेखांकित कर अनधिकृत व्यक्ति को होने पर उसे पकड़ना आसान हो जाता है
Cross a cheque by drawing two parallel lines at the top left corner of the cheque before handing over. A crossed cheque is safe as it prevents any wrong payment to an unintended beneficiary.
- 6 सुनिश्चित करे कि आप द्वारा जारी चेक के भुगतान हेतु आपके खाते में पर्याप्त शेषराशि है, अन्यथा बैंक द्वारा चेक लौटा दिया जायेगा जायेगा. इसके अतिरिक्त खाते में पर्याप्त शेष रखे बिना चेक जारी करने की स्थिति में आदाता द्वारा आपके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जायेगी.
Ensure that you have sufficient balance in the account to pay for the cheque you have issued. Bank will not pay for the transaction. Besides, the payee can take criminal action against you for issuing a cheque without having the funds to pay for it.
- 7 यदि बैंक खाता सख्या के सत्यापन हेतु खाली चेक प्रदान करने के लिए कहा जाए, तो चेक प्रदान करने से पहले उस पर एक कोने में 'रद्द' (Cancelled) शब्द लिख दे
If asked to give a blank cheque for verification of bank account number, write the word 'Cancelled' diagonally across the cheque before giving it.



SELF ATTESTED — पायल सुमरि



शाखा BRANCH

शाखा का पता Branch Address

शाखा का फोन नं / Branch Phone No

खाता क्र. Account No

In the Name of

नाम Name i)

ii)

iii)


पेशा Occupation

पता Address


खाता खोलने की तारीख

Date of Opening A/c

नामांकन पंजीकृत / Nomination Registered हाँ Y / नहीं N



लेखाकार Accountant



पायल कुमारी
समक्ष


मोटररी पब्लिक / कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना सदर, पटना।

शपथ-पत्र

मैं, पायल कुमारी पति-पंकज शर्मा, निवासी रामजीचक दीघा, बाटागंज, स्कुल रोड, थाना-दीघा जिला-पटना-800018, बिहार शपथ एवं निष्ठापूर्वक निम्नलिखित बयान करती हूँ :-

4369
04/04/26

1. यह कि मैं उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूँ तथा मेरा आधार कार्ड सं०-8487 0575 0741 है।
2. यह कि मैं बहुत दिनों से किडनी रोग से ग्रसित था मैं दिनांक 23.02.2026 को रूबन मेमोरीयल हॉस्पिटल पटना से गुर्दा (किडनी) प्रत्यारोपण करवायी थी।
3. यह कि गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद Tab. Pangraf, Mycept S 360, Dilzem-CD, Faronem-CV, Prazopress XL, Nicardia XL, Prolomet, Rantac, Bactrim DS, Valchek, Velpanat, ये सब दवाईयों चल रहा है।
4. यह यह कि मैं बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग से दवाई का पैसा लेना चाहती हूँ।
5. यह कि मैं अत्यंत गरीब महिला हूँ तथा अपना ईलाज कराने में सक्षम नहीं हूँ।
6. यह कि दवा से जो अनुदान प्राप्त होगा उसका उपयोग दवा में ही करूँगी।
7. यह कि मेरा बैंक खाता यूनियन बैंक के शाखा दानापुर, पटना में जिसका IFSC Code no-UBIN0828131 खाता सं०-281312010001962 है जिस खाते में सरकार द्वारा अनुदानित दवाई का पैसा आएगा।
8. यह कि उपरोक्त लिखी गई सारी बातें मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। मैं पुनः धर्मतः शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य मेरे जानकारी वो विश्वास में सही वो दुरुस्त है जिसे पढ़कर सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।



पायल कुमारी
शपथकर्ता,

पायल कुमारी
04/04/26
Bihar

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

रजीत कुमार
पिता- महेश सिंह
ग्राम- कतराहां बुजुर्ग
पो०+थाना- करताहा
जिला- वैशाली
पिनकोड- 844119

पटना, दिनांक... ..

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजीत कुमार पिता- महेश सिंह ग्राम- कतराहा बुजुर्ग पो०+थाना- करताहा जिला- वैशाली पिनकोड- 844119	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० ~~002611~~ .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 32721779454, खाता धारक का नाम- **RANJEET KUMAR**, खाते का प्रकार-**REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT**, बैंक का नाम- **STATE BANK OF INDIA**, शाखा का नाम- **JAGDISHPUR CHATURBHUJ**, IFSC कोड स०- **SBIN0015591** में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1174(14)

पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 ~~002677~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख 22/4/26

सामान्य प्रयोग के लिए बाल संक्षेपकार / GENERALLY USED ABBREVIATIONS

a/c = Account/खाता	Cash/नकदी	Pos = Point of Sale/पॉइंट ऑफ सेल
adj = Adjustment/समायोज	Deposit/जमा	Pr = Principal/मूलधन
Amt = Amount/रशि	Draft/ड्राफ्ट	proc = Processing Charge/प्रक्रिया प्रभार
Ar = Arrear/बकायादारि	Int = Interest/असलीकृत	rd = Recurring Deposit/आवर्ती जमा
bal = Balance/बैल	Date of Birth/जन्म तारीख	ret/rtn = Return/वापसी
Capn = Capitalisation/पू	Int'l Transfer/इलेक्ट्रॉनिक इंटर ट्रांसफर	Rnd = Round off/पूर्णांकित
Chg/ch = Charge/भार	Inop = Inoperative/निष्क्रिय	sb = Savings Bank/बचत बैंक
Chq = Cheque/चेक	Ins = Insurance/बीमा	SC = Short Credit/शॉर्ट क्रेडिट
CIF = Customer Information File/ग्राहक सूचना फाइल	Int / In = interest/ब्याज	SI/So/SORD = Standing Instruction/स्थायी अनुरोध
Clos = Closure/समाप्ती	lon/loan/ऋण	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/पति
Coll = Collection/समाहरण	min = Minimum/न्यूनतम	tr/trf/xfer = Transfer/अंतरण
Comm. = Commission/कमीशन	os = Outstanding/बकायादारि	txn = Transaction/लेनदेन
COR/CORR = Correction/संशोधन	P&T = Postal Charges/डाक प्रभार	Wdl = Withdrawal/आहरण
CR = Credit/जमा		+MOD bal = Total balance (SB+linked MOD a/c)/कुल जमा शेष (बचत बैंक + सहकारी खाता)



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

BRANCH: JASDI SHIVU CHL, TURBHU
PO - KARTAHAN, VIA-GHENTARO

Code: 15591

Em. I.S. 1 15591501 00.10
Phone No.: 0262592770
IFSC: SBIN0015591

Bus. Hrs. 10:00:00-19:00:00
MIF: 34400251

Name: RAJDEB KUMAR
S/D/W/H/O : MAHESH SINGH
PAN Number : 86552119710
Account No. : 32721779454
A/c Type : REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT
Address : SO MAHESH SINGH
AT-KARTAHAN BUZURG PO-KARTAHAN
KARTAHAN MAISHALI

MOP: SINGLE
A/c Opening Dt: 20/11/2012
Nom Reg No: 0000000066355850
Customer's TAN: EHM 6325
Date of Issue: 09/01/2013
CONTINUATION

Phone No.
Email
D.O.B. (If Minor):
PEO Number:



AC No:- 32721779454

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	महेश महतो पिता—सियाराम महतो ग्राम—महतो टोला बडहिया पो०—बडहिया थाना—बडहिया जिला—लखीसराय एम०सी०एस—ई० 57127	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मुस्तरी खातुन पति—सरफराज उद्दीन ग्राम—इसा नगर नया टोला पोस्ट+थाना—फुलवारीशरीफ जिला—पटना एम०सी०एस—जी० 12722	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	आकाश चौबे पिता—शिव बिहारी चौबे ग्राम—मझौली पोस्ट—बिहिया थाना—बिहिया जिला—भोजपुर एम०सी०एस—जी० 11597	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	अलाउद्दीन पिता—मजीद ग्राम—सधुआ पोस्ट—सधुआ थाना—रगरा ओपी० जिला—भागलपुर एम०सी०एस—जी० 11275	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मीना देवी पति-राजन राय ग्राम-भूसाव पोस्ट-हरिहरपुर थाना-बनियापुर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 11159	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	मीरा देवी पति-परमेश्वर प्रसाद दास ग्राम-झगीडीह पोस्ट-सोन्था थाना-कोचाधामन जिला-किशनगज एम0सी0एस-जी0 12273	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	धर्मावती देवी पति-कौशल कुमार दुबे ग्राम+पो0-सलेमपुर थाना-धोबहॉ जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 6674	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	अहमद पिता-मो0 सकील अहमद ग्राम-भेलाही पोस्ट-भेलाही कला खुर्द थाना-जलई जिला-सहरसा एम0सी0एस-जी0 10268	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	माधुरी शर्मा पति-उदय नारायण सिंह ग्राम-नन्द गाव पोस्ट-शास्त्री नगर थाना-शास्त्री नगर जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 14494	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	पुनम देवी पति-स्व0 सत्य नारायण प्रसाद ग्राम-डुमरी खुर्द पोस्ट-बखरी सुपायन थाना-राजापाकर जिला वैशाली एम0सी0एस-जी0 13823	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	सयुक्ता देवी पति-नंद किशोर भदेसबार ग्राम-बेलही पोस्ट-बेलही थाना-लौकही जिला मधुबनी एम0सी0एस-जी0 12841	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	मास्टर हिमाशु कुमार पिता-अवधेश पंडित ग्राम-धर्मागत के टोला पो0-मुजौना भाया दीघवारा थाना-दरियापुर जिला-सारण, छपरा एम0सी0एस-जी0 9134	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	तेरस सहनी पिता-अमिर सहनी ग्राम-सलेमपुर पोस्ट-सुतिहर थाना डेरनी जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 12728	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	बेदामी देवी पति-सुरेन्द्र ठाकुर ग्राम-लखौना पोस्ट-लखौना थाना-लखौरा जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 11409	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	बिरेन्द्र कुमार सिंह पिता-स्व0 अक्षयबट कुमार ग्राम-नियर के0 बी0 न0-01 पावरगज बागेश्वरी रोड पो0-आर0 एस0 गया थाना-कोतवाली जिला- गया एम0सी0एस-10360503	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सुरेन्द्र कुमार दास पिता-सुनील दास ग्राम-काशीपुर पोस्ट-समस्तीपुर थाना-नगर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 10332	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	कामेश्वर सिंह पिता-दुलार चन्द सिंह ग्राम-महुली पोस्ट-कोठिया थाना-दीदारगज जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 13812	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	रीना देवी पति-बिरजु पासवान ग्राम-फतेहपुर पो0+थाना- नालदा जिला-नालदा एम0सी0एस-जी0 14467	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	सुरेश साह पिता- भोला साह ग्राम-बारा भरना पोस्ट-बारा वार्ड न०-1 थाना-बिहरा जिला-सहरसा एम०सी०एस-जी० 12665	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	नीलम देवी पति-पुलकीत साह ग्राम-कलासन बाजार पोस्ट-धुरिया कलासन थाना-चौसा जिला-मधेपुरा एम०सी०एस-जी० 12820	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	अशोक तॉती पिता-स्व० विश्वनाथ तॉती ग्राम-लदमा पोस्ट-महेश मुडा थाना-कहलगाव जिला-भागलपुर एम०सी०एस-जी० 13876	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	भोला साह पिता- राम स्वरूप साह ग्राम+पो०- बैजनाथपुर थाना-सौर बाजार जिला- सहरसा एम०सी०एस-जी० 11742	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	बुदिया खातुन पति-जगलाल नट ग्राम-पजाबी मोहल्ला नया बाजार, पोस्ट+थाना-लखीसराय जिला-लखीसराय एम०सी०एस-जी० 13474	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	सुलोचना देवी पति-गोपाल कुमार साह ग्राम-सिटी नाना चौक पोस्ट-पूर्णिया सिटी थाना-सदर जिला- पूर्णिया एम०सी०एस- 10360650	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	खुर्शीदा खातुन पति-लाल मोहम्मद शाह ग्राम-चपैठ पो०-चपैठ थाना-कटहरा ओ०पी० जिला- वैशाली एम०सी०एस-जी० 11775	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	नीलम देवी पति-झट्टु रजक ग्राम-कासिम बाजार दुर्गा स्थान, पोस्ट-मुंगेर थाना-कासिम बाजार जिला-मुंगेर एम0सी0एस-जी0 12349	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	अशोक सिंह पिता-बाहु सिंह ग्राम+पोस्ट--परसा थाना फतुहा जिला-पटना एम0सी0एस0-एफ 57359	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	रिकी कुमारी पति- ओम प्रकाश कुमार ग्राम+पो0-पिपरा खुर्द थाना-सुपौल जिला-सुपौल एम0सी0एस0-जी0 13563	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	सीता देवी पति- रामनन्दन महतो ग्राम+पोस्ट- अगार घाट थाना- अगार घाट जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस0-जी0 14016	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	मरजीन बेगम पति-मजीरुद्दीन ग्राम- सलामपुर गागी पोस्ट- गागी हाट थाना- बहादुरगज जिला- किशनगज एम0सी0एस0- 10360854	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	मुन्ना आलम पिता- जुमन मिया ग्राम- सुजायतपुर पो0- अरेराज थाना- गोविन्दगज जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 14055	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	सट्टु कुमार पिता-विजय यादव ग्राम-अमर बिगहा पो0-बेलागज थाना-बेलागज जिला गया एम0सी0एस-जी0 11237	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	गेना ठाकुर पिता- सर्व लाल ठाकुर ग्राम बबरचक पोस्ट- नवादा बाजार थाना- रजौन जिला- बाका एम0सी0एस-जी0 14161	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	फुलो देवी पति-वेजु साह ग्राम-धबौलीया पोस्ट- सखवा थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 13942	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	सदानंद साह पिता- महावीर साह ग्राम- बरहरी पोस्ट- बरहरा कोठी थाना- बरहरा कोठी जिला- पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 13204 / 10359095	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	सुमित्रा देवी पति- मोहन दास ग्राम- हरसिंगपुर टारा पोस्ट- भगवतपुर थाना- सरायरजन जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 12449 / 10358340	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	सगीता देवी पति-विकास मडल ग्राम-पुरानी लहैता पोस्ट- समुखिया थाना-बाका जिला- बाका एम0सी0एस-एफ 82940 / 10328832	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	कपिला देवी पति-इन्द्रदेव शर्मा ग्राम-फतेहपुर पोस्ट- डिहुरी अकौमी थाना गोह जिला- औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 13888 / 10359779	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

39	पप्पु प्रसाद पिता- सुदर्शन प्रसाद ग्राम- कुर्जी मोड पोस्ट-सदाकत आश्रम थाना- दीघा जिला- पटना एम0सी0एस-जी0 14505/ 10360396	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	मो0 सलाम पिता- मो0 हबीब ग्राम- लहतोरा पोस्ट- बाग नगर थाना- अररिया जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 9320	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	नाजीम पिता-सफीउर रहमान ग्राम- तेघरिया पोस्ट- कन्हैयाबाडी थाना- कोचाधामन जिला-किशनगज एम0सी0एस-जी0 13379	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	सुमित्रा देवी पति-स्व0 नेपाली सहनी ग्राम- पूर्वी लोहानीपुर अम्बेदकर खदपर नियर निशा देवी मंदिर पोस्ट- राजेन्द्र नगर थाना- कदमकुआ जिला पटना एम0सी0एस-जी0 13422/ 10359313	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	मो0 अशाफाक पिता-मो0 तमीजुद्दीन ग्राम-रनगाव बुजुर्ग पो0-सठियारी थाना- धोरैया जिला- बाका एम0सी0एस-जी0 8801/ 10354692	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	गोपाल कृष्ण पिता- धर्मनाथ सिंह ग्राम- गोपालपुर पो0-गोपालपुर थाना-नयागाव जिला- सारण एम0सी0एस-जी0 14436/ 10360327	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

45	लालती देवी पति-रामचन्द्र पासवान ग्राम- बखरी पोस्ट-पचटकी यदु थाना-बैरगनिया जिला- सीतामढी एम0सी0एस-जी0 12165	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	राजेश सिंह पिता-कामता सिंह ग्राम-मोख्तयारपुर पो0- राम नगर थाना- खुदवा जिला औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 97093 / 10342985	बोन मैरो ट्रासप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
47	चिता देवी पति-मकेश्वर सिंह ग्राम-ढोगहॉ फतु 15 पो0-बजहियॉ थाना दरियापुर जिला-सारण एम0सी0एस-10360897	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	राम सिरिया देवी पति- उमेश सहनी ग्राम-अमसौर पो0-भोरेजराम थाना-खानपुर जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस-जी 12868 / 10358759	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	बिजेन्द्र दास पिता-गुलटेन दास ग्राम-धोबोपुर बसारा पोस्ट-किशनपुर बैकुठ थाना-हायाघाट जिला-दरभंगा एम0सी0एस-जी0 13927 / 10359818	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	महेश यादव पिता- स्व0 विफन यादव ग्राम-पिपरघाटी पो0-चिलीम थाना-डोभी जिला- गया एम0सी0एस-जी0 14281 / 10360172	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

51	शम्भु कुमार मडल पिता-सूर्या नन्द मडल ग्राम+पोस्ट-तिरसकुड थाना-फारबिसगज जिला- अररिया एम0सी0एस-जी0 14326/ 10360217	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	कुमार बिक्रान्त पिता-अयोध्या प्रसाद ग्राम-चुटकिया बाजार पो0-माधव मिल्स थाना-मालसलामी जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 12106/ 10357997	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	राजमुनी देवी पति-राम विनय सिंह ग्राम-केवटा पो0-गगाचक थाना-मसौडी जिला पटना एम0सी0एस-10360717	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	रामाशीष प्रसाद कुशवाहा पिता-यदुनदन प्रसाद कुशवाहा ग्राम-गुरचुरवा पोस्ट+थाना-मझौलीया जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 13399 / 10359290	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
55	नयन देवी पति-प्रद्युमन गिरि ग्राम-गोपालपुर पोस्ट- वकुलाहर थाना- गोपालपुर जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 52787	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
56	सालिक सिंह पिता-लक्ष्मण सिंह ग्राम-अवाही पो0-बिक्रमगज थाना-दावत जिला-रोहतास एम0सी0एस- 10360522	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

57	रिषभ कुमार पिता-सनोज पासवान ग्राम-महजपुरा पो0-महजपुरा थाना-बिक्रम जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 14090 / 10369981	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	निशा कुमारी पिता-जनार्दन सहनी ग्राम-रतनौली निया ब्रहा स्थान पो0-रतनौली थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 90741	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	नित्या कुमारी पिता- लगनदेव राय ग्राम-धनगडहा टोला गोपालपुर पो0-कामता थाना- बनियापुर जिला- सारण एम0सी0एस-एफ 75920 10321812	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	उदलेश राम पिता-राम प्रवेश राम ग्राम-रघुनी बिगहा पोस्ट-कोरमथु थाना बेलागज जिला-गया एम0सी0एस-जी0 13627	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
61	शाति देवी पति- अर्जुन यादव ग्राम- मिरताही पो0- उथू थाना-फैसर जिला- औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 96367 / 10342259	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	चनवा देवी पति- ड्राइवर चौधरी ग्राम- शिवराजपुर पो0- बहलुआ थाना- बडहरिया जिला- सीवान एम0सी0एस-जी0 14327 / 10360218	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

63	त्रिवेणी यादव पिता- किशन यादव ग्राम- बेलही पो0- चिलोनी थाना- प्रतापगज जिला- सुपौल एम0सी0एस-जी0 12710	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	बिभा कुमारी पिता एकनाथ सिंह ग्राम-सर्वोदय नगर विष्णुपुर पो0-बेगुसराय थाना बेगुसराय टाउन जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 5074/ 10350965	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
65	सुनील कुमार पिता-रामाधार प्रसाद ग्राम-अरवल रोड पोस्ट+थाना-पालीगज जिला-पटना एम0सी0एस-जी-4727/ 10350618	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
66	प्यारी देवी पति- दशरथ सिंह ग्राम- पढ, पो0- सिरसी थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ एमसीएस न0- एफ 82206	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	उर्मिला देवी पति- स्व0 माधव प्रसाद ग्राम- प्रसबन्ना पो0- रायपुर कोयल बिगहा थाना- धरथरी जिला- नालदा एमसीएस न0- डी 44540	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
68	प्रेमशीला देवी पति- उपेद्र सिंह ग्राम- नया टोला तुरकौलिया वार्ड 07 पो0+थाना- तुरकौलिया जिला- पूर्वी चम्पारण एमसीएस न0- एफ 99135	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	सोनी कुमारी पति- शिशुवत राय ग्राम- बादराबाद पो0- मदनपुर थाना- एकगर सराय जिला- नालदा एमसीएस न0- एफ 60701	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

70	कमलेश प्रसाद पिता- तनसुख प्रसाद ग्राम- राधे कृष्णा कॉलोनी लालजी टोला पो0- कदमकुआ थाना- गाधी मैदान जिला- पटना एमसीएस न0- एफ 42958/10288850	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
71	राजेंद्र कुमार पिता- लक्ष्मण रजक ग्राम- रोड न0 09 नई अलकापुरी पो0- अनीसाबाद थाना- गर्दलीबाग जिला- पटना एमसीएस न0- एफ 70529	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 61,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 61,40,000/- (एकसठ लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1123(14)

पटना, दिनाक 22/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 ~~002677~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/4/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान सस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चिता देवी पति- नवल किशोर महतो ग्राम- पसिया पो०- सरसु थाना- अतरी जिला- गयाजी सीआर न०- 108112300783421	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	तोरकेश्वर महतो पिता- सुबदेव महतो ग्राम- शामपुर पो०+थाना- इसुआपुर जिला- सारण सीआर न०- 108112300437728	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	जयनाथ मडल पिता- स्व० बगाली मडल ग्राम- भवानीपुर देशरी पो०+थाना- जगदीशपुर जिला- भागलपुर सीआर न०- 108112301149068	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	आशा सुमन पति- बलिराम कुमार ग्राम- नदौल वार्ड 06 पो०- नदौल थाना- मसौढी जिला- पटना सीआर न०- 108112501529680	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	ममता देवी पति- रामपुकार ठाकुर ग्राम- चकमेहसी वार्ड 07 पो0- पुयषोत्तमपुर थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112600304967	गैस्ट्रो रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	उदय चौधरी पिता- वासुदेव चौधरी ग्राम- बाहापुर पो0- खुसरुपुर थाना- सालीमपुर जिला- पटना सीआर न0- 1081124300548741	Post Transplant (Kidney)	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
7	शकील आलम पिता- मो0 फारुक ग्राम- पिरगछी पो0+थाना- अनगढ जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112600377891	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सुधा देवी पति- मनोज झा ग्राम- महना वार्ड 03 पो0- महना थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600557008	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	अरुण कुमार पिता- सत्यनारायण यादव ग्राम- कटहरवा पो0- बुधमा थाना- भर्ही जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112600364340	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	अर्जुन कुमार यादव पिता- महेद्र यादव ग्राम- मझौरा पो0- बरहरा थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112502552332	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	राजेद्र प्रसाद शर्मा पिता- स्व0 कैलाश प्रसाद शर्मा ग्राम- मौना दालदली बाजार पो0- साहेबगज थाना- नगर जिला- सारण सीआर न0- 108112600647597	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	बबलू यादव पिता- भुटो यादव ग्राम- रामानकाबाद वा र्ड 24 पो0- कामानकाबाद थाना- हवेली जिला- मुगेर सीआर न0- 108112503487771	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
13	रघुनाथ मंडल पिता- रेशम लाल मडल ग्राम- खुट्टी खरैया पो0- केसर्रा थाना- जोकिहाट जिला- अररिया सीआर न0- 108112600365788	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
14	फातमा बीबी पति- उसमान मिया ग्राम- मुबारकपुर वार्ड 08 पो0- मुबारकपुर थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर न0- 108112600537546	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत ।
15	देवनारायण मेहता पिता- साधुलाल मेहता ग्राम- मिर्जापुर पो0- मिर्जापुर कोठी थाना- सिमराहा जिला- अररिया सीआर न0- 108112600587713	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत ।
16	अस्मिता देवी पति- अनिल कुमार महतो ग्राम- जोरीपोखर वार्ड 01 पो0- लागुनिया थाना- शाहपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112503111780	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
17	यशोदा देवी पति- केदार भगत ग्राम+पो0- उसास थाना- कोच जिला- गयाजी सीआर न0- 108112600161031	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत ।
18	हरेराम कुमार यादव पिता- रामाशीष यादव ग्राम+पो0- टडवा थाना- सिवान मुफसिल जिला- सिवान सीआर नं0- 108112501286043	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

19	पकु बासकी पति- पेडरा मिस्कू ग्राम- नयाडीह पो0- कामदेवडीह थाना- कटोरिया जिला- बाका सीआर न0- 108112300452638	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	मनमोहन कुमार पिता- विवेकानंद ठाकुर ग्राम- बनगाँव नगर पचायत ठाकुर पट्टी टोला वार्ड 06 पो0+थाना- बनगाँव जिला- सहरसा सीआर न0- 108112600080228	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	असगरी पति- फ़ैयाज आलम ग्राम- बेरहो वार्ड 06 पो0- चौकी हरिपुर थाना- कदवा जिला- कटिहार सीआर न0- 108112600311863	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	सलीम राइन पिता- युसूफ राइन ग्राम+पो0- गनौन थाना- घनश्यामपुर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112300294021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	माधुरी देवी पति- मुकेश कुमार ग्राम- शिवगढ वार्ड 02 पो0- दतियाना थाना- विक्रम जिला- पटना सीआर न0- 108112300158764	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	अवधेश कुमार राय पिता- रामचंद्र राय ग्राम- खुटवारा पो0- कबरिया थाना- सदर जिला- दरभंगा सीआर नं0- 108112501593701	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	सुनैना देवी पति- रामप्यारे चौहान ग्राम- साहेबचक वार्ड 12 पो0- ननौरा थाना- नवादा जिला- नवादा सीआर न0- 108112600618228	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	आशा देवी पति- रामदेव तिवारी ग्राम- शिव चौधरी भवन एल0सी0टी0 घाट मैनपुरा वार्ड 22 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- पाटलीपुत्रा जिला- पटना सीआर न0- 108112600578013	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	नूतन कुमारी पति- सुशील कुमार सिंह ग्राम- बादपुर वार्ड 05 पो0- मालपुर थाना- मरौची जिला- पटना सीआर न0- 108112600467190	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	राम प्रसाद पासवान पिता- द्वारिक पासवान ग्राम+पो0- सलहा थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600621920	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	कचन देवी पति- दिलीप साह ग्राम- कन्दाहा वार्ड 08 पो0+थाना- महिषी जिला- सहरसा सीआर नं0- 108112501468044	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	उमेश साह पिता- बुनिलाल साह ग्राम+पो0- पकरिया थाना- छौडादानी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112501809275	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
31	रामश्लोक महतो पिता- रामसागर महतो ग्राम+पो0- राजपुर थाना- मोहनपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600618767	Cataract + Injection	10,000	दस हजार स्वीकृत।
32	सुधा देवी पति- आँकार शर्मा ग्राम+पो0+थाना- सालिमपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112501763771	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

33	दिव्यम कुमार पिता- बलराम कुमार ग्राम- गोखले नगर बिशनुपुर वार्ड 04 पो0- गोखले नगर थाना- बलिया जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112403851425	कोकलियर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
34	सक्कल सहनी पिता- देवनारायण सहनी ग्राम- शाहपुर खुर्द वार्ड 05 पो0- मसूरपुर हलैया थाना- कटहरा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600625623	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
35	उर्मिला देवी पति- स्व0 हिरदय ठाकुर ग्राम- सलेमपुर वार्ड 06 पो0- सलेमपुर थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112402784538	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	सुनीता देवी पति- परमेश्वरी छिटान ग्राम+पो0- तेकुना थाना- प्रतापगज जिला- सुपौल सीआर न0- 108112300627659	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	उमेश प्रसाद पिता- राम सेवक यादव ग्राम- रामकृष्ण नगर नियर दुर्गा मदिर गली, पो0- नई जगनपुरा थाना- रामकृष्ण नगर जिला- पटना सीआर न0- 108112300343227	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	अरुणा देवी पति- अनिल कुमार झा ग्राम- लक्ष्मीपुर पो0+थाना- भरगामा जिला- अररिया सीआर न0- 108112400761131	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	चन्द्रमा देवी पति- रामचंद्र राय ग्राम- कररिया बैरागी टोला पो0- कररिया थाना- कोटवा जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112502760512	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	हरि नारायण यादव पिता- रामेश्वर यादव ग्राम- भदुली ब्रह्मोत्तरा पो0- अरेरहट थाना- अरेर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112300023176	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	चदा देवी पति- शत्रुधन पटेल ग्राम- नकछेद टोला पो0- मोतिहारी थाना- टाउन जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112401962301	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	बेबी देवी पति- हरिशकर प्रसाद केशरी ग्राम+पो0+थाना- पकडीदयाल जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112400715954	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	सीमा कुमारी पिता- अमित कुमार ग्राम- गौतम नगर जनता रोड पो0- जी0पी0ओ0 थाना- जक्कनपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112503270993	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
44	सजीव शर्मा पिता- नारायण शर्मा ग्राम- ककडबाग पो0- लाहिया नगर थाना- पत्रकार नगर जिला- पटना सीआर न0- 108112600410171	Cholithrasis	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			35,85,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 35,85,000/- (पैंतीस लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002671 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1124(14)

पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~002644~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एव शोध सस्थान प्रा० लि०,
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक. ..

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सविता देवी पति- राजेश कुमार ग्राम- बेला सिमरी वार्ड 15 पो०- बेला सिमरी थाना- गगौर जिला- खगडिया	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	दयानन्द मिश्रा पिता- गजाधर मिश्रा ग्राम- गौधी टोला पो०+थाना- लखीसराय जिला- लखीसराय	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	दिलीप कुमार पिता- आदित्य प्रसाद ग्राम+पो०+थाना- नया भोजपुर जिला- बक्सर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	उर्मिला देवी पति- चन्द्रिका साव ग्राम- हॉस्पिटल रोड पो०+थाना- नवादा जिला- नवादा	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	रामरती देवी पति- विजेन्द्र सिंह ग्राम- पिताबरपुर पो०- डुमरी थाना- फतुआ जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	अश्वनी कुमार पिता- श्याम सुन्दर प्रसाद ग्राम- रेलवे कॉलोनी मोकामा वार्ड 03 पो0+थाना- मोकामा जिला- पटना	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
7	कुती देवी पति- ददन राय ग्राम+पो0- मटिला जिला- कोरमुरय जिला- बक्सर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	रेशमी देवी पति- विनोद चौधरी ग्राम- भसुडा पो0- नौरंगा थाना- मुफसिल जिला- गयाजी	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			7,85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,85,000/- (सात लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002611 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. रवीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 22/4/2026

ज्ञापाक 1125 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 ~~002677~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22/4/2026
निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाए
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,

राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	प्रकाश साव पिता- बलदेव साव ग्राम+पो0+थाना- तेतरहाट जिला- लखीसराय	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	सीता देवी पति- सोनू कुमार मेहता ग्राम+पो0- गढिया बलुआ थाना- के नगर जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	नुदीन पिता- जीवछ ग्राम- मोहम्मदपुर पो0- गोकुलपुर, थाना- के नगर जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	रजनीश कुमार रजन पिता- भुनेश्वरी साह ग्राम- सिरसिया हनुमानगज महथावा बाजार पो0- महथावा बाजार थाना- भरगामा, जिला- अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	अरविन्द यादव पिता- गुगल यादव ग्राम- रामगज वार्ड 04 पो0- रामगज, थाना- कुमारखड जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			4,25,000	



2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,25,000/- (चार लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 1499002109000623 खाता धारक का नाम- "राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अर्हता प्राप्त लाभियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1127(14)

पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/4/26
निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनुज कुमार सिन्हा पिता- रामचरण सिंह ग्राम- अमीर महल पो०- डेल्हा थाना- टेकारी जिला- गयाजी रजि न०- 3000627761	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	जीतेन्द्र कुमार पिता- सत्यनारायण सिंह ग्राम- असतपुर सतपुरा पो०- सतपुरा थाना- भगवानपुर जिला- वैशाली रजि न०- 3000319223	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
3	बन्टी कुमार मडल पिता- अधिक लाल मडल ग्राम- मिरचाईबाडी शीतला स्थान पो०- कटिहार थाना- सहायक जिला- कटिहार यूएचआईडी न०- 3000621445	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	प्रमोद कुमार मडल पिता- अरुण मडल ग्राम- भवानीपुर वार्ड 06 पो०+थाना- भवानीपुर जिला- पूर्णियाँ रजि न०- 300030899	हृदय रोग एवीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

5	राहुल कुमार पिता- सूरण चौधरी ग्राम- इटवा पो0- परमानदपुर थाना- शभुगंज जिला- बाका यूएचआईडी नं0- 3000544834	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	शादाब आलम पिता- अजहर हुसैन ग्राम+पो0- मजगामा थाना- कसबा जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी नं0- 3000630539	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	नन्दलाल पिता- मुकेश सिंह ग्राम- रामदीरी महाजी वार्ड 08 पो0- रामदीरी थाना- मटीहानी जिला- बेगूसराय यूएचआईडी नं0- अकित नहीं है।	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	मो0 शौकत पिता- मो0 अकबर खान ग्राम- मेहदी नगर जारा बाजार पो0- बी0वी0 कॉलेज थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना यूएचआईडी नं0- 3000630047	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	एस एम मुशरफ वारसी पिता- एम एम आरिफ वारसी ग्राम- सरुयदाना वार्ड 15 पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना यूएचआईडी नं0- 3000574985	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	दिलीप कुमार पिता- गिरजा राय ग्राम- दरिहारा चतुर्भुज पो0- दरिहारा, थाना- दरियापुर जिला- सारण रजि नं0- 3000427344	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	सन्नी कुमार पिता- अर्जुन दास ग्राम+पो0- पार्वती थाना- साहपुर जिला- नवादा रजि नं0- 3000630596	बोन मैरो ट्रासप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।

12	स्वाती सिन्हा पति- मनोज कुमार सिन्हा ग्राम- पिपुल्स कॉपरेटिव शिव हनुमान मंदिर ककडबाग वार्ड 35 पो- लोहिया नगर थाना- ककडबाग, जिला- पटना रजि न०- 3000599287	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
			17,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,40,000/- (सतरह लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~002611~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी०एल०, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1128 (14)

पटना, दिनाक 22/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 ~~002677~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमृत साह पिता- छेदी साह ग्राम+पो0+थाना- कमतौल जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	मो0 इदरीस असाारी पिता- अब्दुल असाारी ग्राम- बाजपट्टी गेट पो0+थाना- बाजपट्टी जिला- सीतामढी	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
3	लाडली खातून पति- शाहाबुद्दीन दर्जी ग्राम- पुरनहिया पो0- बसत पट्टी थाना- पुरनहिया जिला- शिवहर	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
4	जीतेन्द्र कुमार पिता- योगेद्र प्रसाद ग्राम- लाल इमली छोटी मसिजद पो0- बेगमपुर थाना- चौक जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
5	चदा देवी पति- नरेश कुमार ग्राम- जेटुली पो0- कच्ची दरगाह थाना- नदी जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

6	सकलदेव चौहान पिता- कैलाश चौहान ग्राम- अकौना बाजार पो0- आकौना मिनहाई थाना- मुफसिल जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
7	मो0 शकूर पिता- खबीयदीन ग्राम- मुस्लिम टोला बौलिया पो0- आर0एन0 बौलिया थाना- मनिहारी जिला- कटिहार	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
8	कृष्ण कुमार पिता- अनिल प्रसाद ग्राम- चेरन पो0+थाना- हरनौत जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
9	नरेश प्रसाद पिता- जागेश्वर पासवान ग्राम- रवनबीधा पो0+थाना- चेवाडा जिला- शेखपुरा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
10	मीणा देवी पति- विष्णुदेव मोदी ग्राम- हसनगज पो0- मिरजानहाट थाना- मोजाहिदपुर जिला- भागलपुर	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
11	महमूदा खातुन पति- अब्दुल रजाक कुरैशी ग्राम+पो0- रहीमाबाद थाना- बगरा जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	सजय सिंह पिता- द्वारिका सिंह ग्राम- भीखमपुर पो0+थाना- रूपी जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
13	अशोक कुमार पिता- सिद्धेश्वर राय ग्राम- बरियारपुर पो0+थाना- बख्तियारपुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
14	राज कुमार पिता- रमश सिंह ग्राम+पो0- आदर्श लक्ष्मीपुर थाना- बडहिया जिला- लखीसराय	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

15	कुन्दन कुमार पिता- सत्यनारायण सिंह ग्राम- जुरी बचुबीगहा पो0- बकी बाजार थाना- बाके बाजार जिला- गयाजी	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
16	तमन्ना कुमारी पिता- रणवीर कुमार ग्राम- लखनचद यादव टोला पो0- मोकामाघाट थाना- मोकामा जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
17	मुजफ्फर हुसैन पिता- अब्दुल रउफ ग्राम- कोचगामा पो0- बलभद्रपुर थाना- वीरपुर जिला- सुपौल	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	अमित पटेल पिता- दीपक कुमार ग्राम- राम नगर पो0+थाना- मसौढी जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
19	विकाश कुमार पिता- शम्भु राम ग्राम- वनगामा पो0- उटेसरा, थाना-सलखुआ जिला- सहरसा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
20	नमन कुमार पिता- युगल किशोर ग्राम- छोटकी डेल्हा पो0- आर0एस0 गया थाना- डेल्हा जिला- गयाजी	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
21	विजय शर्मा पिता- स्व0 शिव कुमार शर्मा ग्राम- खर्गा रोड जयनगर पो0+थाना- जयनगर जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
22	सोनू कुमार पिता- नवल साव ग्राम- थरथरी बाजार पो0- रायपुर कोयला बिगहा थाना- थरथरी जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
23	तारा देवी पति- वीरेंद्र साह ग्राम- पखनारी पो0+थाना- शिवसागर जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

24	विकास कुमार पिता-जय प्रकाश गुप्ता ग्राम-सगुना करीम बाबा के निकट, पोस्ट-दानापुर कैंट थाना-दानापुर जिला-पटना	टोटल नी रिपलेस्मेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
25	द्रोपदी देवी पति-शकर शर्मा ग्राम-191 बी0 सामुदायिक भवन के पास सगुना पोस्ट-दानापुर कैंट थाना-दानापुर जिला-पटना	टोटल हिप रिपलेस्मेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			29,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 29,75,000/- (उनतीस लाख पचहतर हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 022677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्राउंड फ्लौर ओजिन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को रावधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1129(14)

पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,
सर्गार्फ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रीति कुमारी पिता- बसंत कुमार साहू ग्राम+पो० बिशुनपुर उीहा थाना- सिधिया जिला- समस्तीपुर	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	शाहनवाज अंसारी पिता- मो० कफील ग्राम- राजाओ पो०- पाली, थाना- बेनीपट्टी जिला- मधुबनी	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
3	सत्य नारायण साहू पिता- रघुनी साहू ग्राम+पो०- धामुआरा थाना- अलीनगर जिला- दरभंगा	ड्रामा	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
4	राम कुमार चौधरी पिता- रामचंद्र चौधरी ग्राम- पिट्टा धोबी पो०- सोनपुर थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	हर्ष कुमार पिता- रतन कुमार यादव ग्राम- सुन्दरपुर पो०- बासुदेवपुर थाना- सदर जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	लक्ष्मी देवी पिता- राम बिलाश कापरी ग्राम- बारे बाजार पो0- लाल बाग थाना- नगर जिला- दरभंगा	ड्रामा	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	लजीना खातुन पति- मो0 मिन्नतुल्लाह ग्राम+पो0- नारी थाना- घनश्यामपुर जिला- दरभंगा	हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	मो0 हीरा पिता- मो0 अजीज ग्राम+पो0- धमुआरा थाना- अलीनगर जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	तेजनारायण कुमार पिता- रामदेव सहनी ग्राम+पो0+थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	आकाश कुमार महतो पिता- राम विलाश महतो ग्राम+पो0- मैलाम थाना- अन्द्रटारही जिला- मधुबनी	ड्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
11	मदन साह पिता- रामु साह ग्राम- आजमनगर कल्पना सिनेमा, पो0- दरभंगा थाना- ल0ना0वि0वि0 जिला- दरभंगा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
12	विकाश कुमार पिता- सुधील कुमार ठाकुर ग्राम- सिरहुल्ली पो0- कोठिया, थाना- कमतौल जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	किरणदेव सिंह पिता- रामप्रकाश सिंह ग्राम- फूलतौरा पो0- शहरबनी थाना- अलौली जिला- खगडिया	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	अशोक यादव पिता- सुरेश यादव ग्राम- मौसिमपुर पो0- रानीपुर थाना- मोरो जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

15	इदरीश मिया पिता- तस्लीम मिया ग्राम- सिमराही पो0+थाना- राघोपुर जिला- सुपौल	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			11,05,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,05,000/- (ग्यारह लाख पांच हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~002611~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्गफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।


विश्वासभाजन
ह0/-
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1130(14)

पटना, दिनाक 22/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि रालग्न चेक स० ~~002677~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


दिदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रुवन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	हजरा खातून पति- मो० आलम ग्राम- नौतन खुर्द वार्ड 11 पो०- साखे खास थाना- उचकागाव जिला- गोपालगज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			60,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 00264... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- राष्ट्र स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1131(14)

पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22/4/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिपिन बिहारी पाठक पिता- राधा रमण पाठक ग्राम- बकसडा पो०- बकसडा थाना- अकबरपुर जिला- नवादा	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	विशाल कुमार पिता- राकेश चंद्र जायसवाल ग्राम+पो०+थाना- नुआँव जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग एभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	दिनेश साव पिता- राज राम साह ग्राम- महमूदगज खरसरा पो०- छाता थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	अमरकांत सिंह पिता- कमलेश सिंह ग्राम- नारायणपुर वार्ड 06 पो०- नसरतपुर थाना- सदेस जिला- भोजपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

5	फरीदा खातून पति- रेयासत हुसैन ग्राम- परसिया पो0+थाना- नबीनगर जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	प्रिया कुमारी पति- धीरज कुमार ग्राम- तिनरी पो0- नदौल थाना- मसौडी जिला- पटना	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	जय प्रकाश कुमार वर्मा पिता- रामाशीष वर्मा ग्राम+पो0+थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	हरिलाल सिंह पिता- स्व0 घमडी सिंह ग्राम- पडित बिगहा पो0- बधेता थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			7,05,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 7,05,000/- (सात लाख पांच हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002644 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 **SBIN0009005** मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

जापाक 1132(14)

पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~002677~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/4/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हॉस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकडी चौक
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राज कुमार शर्मा पिता- राधाकृष्ण शर्मा ग्राम- सफाखाना रोड डुमरौव पो०+थाना- डुमरौव जिला- बक्सर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता स०-50200037828274 खाता धारक का नाम-“अखिलेश कुमार सिंह हॉस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकडबाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया

जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1133 (14)

पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

निदेशक प्रमुख
22/4/26

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.. ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसारण,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अभिषेक कुमार पिता— सत्यानंद सिंह ग्राम— नुरमोहिदीनपुर पो०+थाना— पुनपुन जिला— पटना	Tympanoplasty	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	पुष्पा देवी पति— धनेश प्रसाद ग्राम— चदा पो०— तेजपुरवा थाना— मढौरा जिला— सारण	BLTL	85,000	पचासी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	मुनिया देवी पति— मिश्री राउत ग्राम— चदा पो०— तेजपुरवा थाना— मढौरा जिला— सारण	TLH+ACR+PFR	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	मदन कुमार पिता— सुरेश राय ग्राम— देदौर वार्ड 10 पोस्ट+थाना— बख्तियारपुर जिला— पटना	Multiple Fractures	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			3,35,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,35,000/- (तीन लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~002677~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440720110000219 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना—16, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मागले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 22/4/2026

ज्ञापाक 1134(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~002677~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

स० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
रोगा में,
निदेशक,
दुर्गा केसर सेक्टर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपरापुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।

महाराष्ट्र,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जितेन्द्र कुमार पिता— रघुनाथ प्रसाद ग्राम— अलौदिया सराय वार्ड 10 पो०— तिउरी थाना— मानपुर जिला— नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अरविंद कुमार यादव पिता— महेन्द्र यादव ग्राम— खैरु गज वार्ड 31 पो०— बेला रिकाबगज थाना— सदर जिला— पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	भंजू देवी पति— रामसिंहासन प्रसाद ग्राम— अरोरा हाउस लेन वार्ड 66 पो०— पटना सिटी थाना— चौक जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	गो० सजिक पिता— साहब उद्दीन ग्राम— चौक बाजार वार्ड 09 पो०— सिटानाबाद साउथ थाना— सिमरीबख्तियारपुर जिला— सहरसा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	विकाश कुमार सिंह पिता- राजकुमार सिंह ग्राम- बखरी वार्ड 04 पो0- बखरी थाना- पताही जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	बूची देवी पति- जय राम यादव ग्राम- धमार वार्ड 03 पो0- धमार थाना- आरा मुफ्फसिल जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	हुस्ने आरा खातून पति- अब्दुल खेर ग्राम- मसही वार्ड 02 पो0- जीतपुर थाना- छौडादानो जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	सिया देवी पति- चन्द्रिका ठाकुर ग्राम- तालिमापुर वार्ड 01 पो0- बालिमापुर थाना- जामो बाजार जिला- सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	दोलावती देवी पति- गोविन्द शरण मिश्रा ग्राम+पो0- करमावा थाना- ढाका जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	मीणा देवी पति- विद्यानद सिंह ग्राम- मल्हनी वार्ड 05 पो0- सुखपुर थाना- सुपौल जिला- सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	दयानन्द मेहता पिता- स्व0 कमलानन्द मेहता ग्राम- सतकोदरिया वार्ड 07 पो0- गगेली थाना- के नगर जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	राजेन्द्र प्रसाद पिता- बसत लाल ग्राम- कोपा खुर्द वार्ड 13 पो0+थाना- नौबतपुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	राजेश कुमार ततमा पिता- बहादुर ततमा ग्राम- जागीर पिपरा वार्ड 12 पो0- तिराखरदह थाना- बरदाहा, जिला- अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	गीता देवी पति- पकज कुमार रवि ग्राम+पो0- मलिकपुरा थाना- गोरौल जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सुशीला देवी पति- कैलाश यादव ग्राम- सलैया खुर्द वार्ड 08 पो0+थाना- फतेहपुर जिला- गयाजी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	शिव कुमारी पति- रामाश्रय यादव ग्राम+पो0- बैद्यनाथपुर थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	जहिना पति- मो0 कयाम ग्राम- अधरी वार्ड 16 पो0- चपरौव थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
18	मीणा देवी पति- उपेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम- साहित वृन्दावन वार्ड 07 पो0+थाना- विद्यापतीनगर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
19	चिता देवी पति- स्व0 गणेश सिंह ग्राम- कच्चीदरगाह वार्ड 3 पो0- कच्चीगरगाह थाना- नदी, जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	हुरो देवी पति- रामप्रसाद यादव ग्राम- जीतपुर वार्ड 01 पो0- झरकाहा थाना- शकरपुर जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	चेतन राय पिता- स्व0 सोनू राय ग्राम- कटेसर वार्ड 07 पो0- कटेसर थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

22	अरविन्द सिंह पिता- स्व० अवध सिंह ग्राम- नौडीहा कलन पो०+थाना- वजीरगज जिला- गयाजी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	उपेन्द्र राय पिता- दरोगा राय ग्राम- दाउदपुर बजाज गली वार्ड 01 पो०- दाउदपुर थाना- शाहपुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	कारी लाल राम पिता- योगी राम ग्राम- महमदपुर सकरा वार्ड 04 पो०- मदमदपुर सकरा थाना- बिभूतिपुर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			18,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 18,00,000/- (अठारह लाख) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002611 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम-“बुद्धा कैसर सेटर प्रा० लि०” खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. उपरोक्त मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, पता: एरा० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. उपरोक्त राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आरुग्धान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुकों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

क्रमांक 1135(14)

पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सहायता सं० 002611 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22/4/2026
निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

सं०

सं०0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
निदेशक,
एस एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

क्याही,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्र.सं.	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुनी देवी पति- विधानद यादव ग्राम- जपालपट्टी वार्ड 15 पो०+थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	आदित्य कुमार पिता- राकेश कुमार सोनी ग्राम- अशोक राजपथ पक्का कुआँ पो०- महेन्द्र थाना- सुल्तानगज जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	गणेशदास पिता- फुसन दास ग्राम- वकैनिया वार्ड 11 पो०+थाना- पलासी जिला- अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	उमा देवी पति- नन्द किशोर सिंह ग्राम- कोब्बा वार्ड 03 पो०- सकरदास, थाना- वजीरगज जिला- गयाजी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	अनीता देवी पति- सजय कुमार ग्राम- भगवानपुर वार्ड 07 पो०- भगवानपुर, थाना- परसौनी जिला- सीतामढ़ी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	पकज कुमार पिता— स्व० राणा राम ग्राम— आजाद मेडिक हॉल नियर महवीर सीन सैदपुर पो०— बाकीपुर थाना— कदमकुआ जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रपि कृता
7	श्रीपति देवी पति— नागेद्र राय ग्राम— बसत जगजीवन वार्ड 11, पो०— बसत जगजीवन थाना— पुरनहिया जिला— शिवहर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रपि कृता
8	रामप्रीत राय पिता— दोरिक राय ग्राम+पो०— हरपुर बरहेता थाना— सरायरजन जिला— समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रपि कृता
9	विवेक कुमार पिता— पवन कुमार ग्राम— मुरारपुर वार्ड 37 पो०— बिहार शरीफ थाना— लहेरी जिला— नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रपि कृता
10	नारायण कुमार यादव पिता— द्वारिका लाल यादव ग्राम— जताही पो०— खोजपुर थाना— बाबुबरही जिला— मधुबनी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रपि कृता
11	आयुष कुमार सिंह पिता— राजीव कुमार सिंह ग्राम— रूदलपुर पो०+थाना— जलालपुर जिला— सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रपि कृता
			8,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,80,000/- (आठ लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता को।", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002644 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता सं० का नाम—एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— डी०ए० बैंक शाखा का नाम— हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB00011531 में भुगतान किया जाता है।

3. प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उसके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लेना होगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर त्रुटि का पारण किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को दो-दो-तीन बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एन.टी.आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को खाते में अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. लाभगुप्तमान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से संबंधित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक रामझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

सं. 1136 (14)

पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि प्रमाण पत्र सं० 002644 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर लेना होगा।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, गिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/4/26
निदेशक प्रमुख

स0स0'11/एम-11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक

आ0 बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि0) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक

वष- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पूजा कुमारी पिता- स्व0 राजेन्द्र प्रसाद ग्राम- पुरुषोत्तमपुर पो0- अमरपुरा थाना- नौबतपुर जिला- पटना	Haemorrhagic Cystectomy	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	विजय प्रसाद पिता- नन्दू महतो ग्राम- नई जवकनपुर पटना पो0- जी पी ओ थाना- जवकनपुर जिला- पटना	Umbilical Hernia	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 70,000/-	

उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 70,000/- (सत्तर हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 442826110000158 खाता धारक का नाम-DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार-बालू, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-बोरिंग कनेल रोड, पटना, बिहार-800001 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0004428 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तथेके से उक्त कोष से प्राप्त की राशि को मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वापस लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीज को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में लिखा जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने की वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र ही वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एरा० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक द्वाारा (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वाराभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 22/4/2026

ज्ञापक 1137(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002644 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को करा दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, विहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर संप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शैलेन्द्र कुमार पाडेय पिता- कपिलदेव पाडेय ग्राम- नई एरिया पो0+थाना- सासाराम जिला- रोहतास	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	राजेश साह पिता- भिखारी साह ग्राम+पो0- धर्मपुर बान्दे थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर	हीप रिफ्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	भवानी देवी पति- प्रशांत कुमार ग्राम- हेमराजपुर पो0- कामदेवपुर थाना- अमरपुर जिला- बाका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	बिरेन प्रसाद पिता- मोहन लाल प्रसाद ग्राम- हरपुर पो0- सुहई शाहपुर थाना- बनयापुर जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,10,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,10,000/- (तीन लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002644 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 22/4/2026

ज्ञापांक 1138(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलमन चेक सं० 002644 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सीता देवी पति- स्व0 नन्द किशोर शर्मा ग्राम- भीतरी बेगमपुर पटना सिटी पो0- बेगमपुर थाना- चौक जिला- पटना	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	राज कुमारी देवी पति- उपेद्र चौधरी ग्राम- रामपुर जलालपुर पो0- जलालपुर थाना- दलसिहसराय जिला- समस्तीपुर	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	जूली देवी पति- कमलेश कुमार ग्राम- पुरैनिया पो0- नेउरा थाना- बिहटा जिला- पटना	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	रश्मी कुमारी पति- राकेश कुमार ग्राम- मुस्लिम रोड पो0- जी पी ओ थाना- जक्कनपुर जिला- पटना	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			2,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~002677~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- **33569032861** खाता धारक का नाम-“ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल ” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 22/4/2026

ज्ञापाक 1139 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं0 ~~002677~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स०स०'१४/एम-११-१/२०२६
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरेस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-८०१५०३

पटना, दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-४ में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बबली कुमारी गुप्ता पति-दीपक कुमार गुप्ता ग्राम-कपिलमुनि मार्ग वार्ड न०-१७, पोस्ट+थाना-डुमराव जिला-बक्सर	TP With LPV with FD	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	ज्योती कुमारी पति-धीरेन्द्र कुमार ग्राम-शाहदरा मेन रोड पो०-माधव मिल्लस थाना- मालसलामी जिला-पटना	TP With LPV with FD	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	ज्योती कुमारी पति- अशोक विश्वकर्मा ग्राम-६२०/१ पहरपुर पुलिस कोलनी, पो०-अनिसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला-पटना	TP With LPV with FD	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	बबेलाल राय पति-शिव प्रसाद राय ग्राम-शेरपुर सोबरना पो०-शेरपुर, थाना-मनेर जिला-पटना	Inguinal Herniorrhaphy	75,000	पचहतर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,70,000	



2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,70,000/- (दो लाख सतर हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677 . . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम— M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एच०डी०एफ०सी०, शाखा का नाम— RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 22/4/2026

ज्ञापाक 1140(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002677...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी, मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22/4/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनील सहनी पिता- स्व० नारायण सहनी ग्राम- लक्ष्मीपुर रोसडा पो०+थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर केस फाईल न०- 19 एफ 2026/000781	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	कृष्णा देवी पति- स्व० मनोज सहनी ग्राम- लोहखर पो०- हरिवेला, थाना- भूतही जिला- सीतामढी केस फाईल न०- 19 एफ 2025/000074	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	नसीमा खातून पति- शेक यूनुस ग्राम- सहामत हुसैन लेन बरहपुरा पो०- बरहपुरा, थाना- ईशाकचक जिला- भागलपुर केस फाईल न०- 11एफ 2026/002328	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
4	फुल मोहम्मद पिता- हबीब मिया ग्राम- सरमसपुर पो०- कलवारी, थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19 एफ 2025/005513	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	प्रभा देवी पति- शिवनाथ साह ग्राम- प्रोफेसर कॉलोनी पो0- बारा चकिया, थाना- चकिया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 11 एफ 2025/019608	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
6	मो0 नूरैन पिता- मो0 ओसैद ग्राम- अबाबकरपुर कोआही थाना- पातेपुर जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19 एफ 2024/005540	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	मास्टर रियाश कुमार पिता- राजा कुमार ग्राम- सलेमपुर, पो0- मुस्तफापुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2026/001546	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
8	उर्मिला देवी पति- जयराम प्रसाद ग्राम+पो0- बरईपट्टी थाना- यादोपुर जिला- गोपालगज केस फाईल न0- 19 एफ 2026/000097	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
9	प्रेमलता कुमारी पति- मधुसूदन पासवान ग्राम- पीरनगर, पो0- गमरिया थाना- नावकोठी जिला- बेगूसराय केस फाईल नं0- 11 एफ 2023/022236	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	राजन कुमार नायक पिता- पवन कुमार नायक ग्राम+पो0+थाना- इशाकचक जिला- भागलपुर केस फाईल न0- 11 एफ 2025/010215	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	यशोधरा देवी पति- हरदेव राय ग्राम- बरौना पो0- पानापुर अख्तियपुर थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2024/2005916	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

12	मास्टर सुशात सिंह पिता- मिथुन कुमार ग्राम+पो0- मुस्तफागज थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2026/002263	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	सुवश बीद पिता- रामचरित्र बीद ग्राम- बेलथु पो0- हरपुर थाना- शाहकुण्ड जिला- भागलपुर केस फाईल न0- 11 एफ 2025/029317	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	बिष्णु कान्त शर्मा पिता- सूर्यनारायण शर्मा ग्राम+पो0- तरियामा थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा केस फाईल न0- 19 एफ 2026/001821	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
15	विभा देवी पति- अनिल सिंह ग्राम+पो0- पानापुर करियात थाना- पानापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2026/001859	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	अमरीका देवी पति- श्याम सुन्दर महतो ग्राम+पो0- बघात थाना- मनगाछी जिला- दरभंगा केस फाईल न0- 11 एफ 2023/014757	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
17	मछिया देवी पति- नागेश्वर दास ग्राम+पो0+थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2025/006904	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
18	प्रमिला देवी पति- सुरेद्र पासवान ग्राम+पो0- बिशूनपुर अररा थाना- गोरौल जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19 एफ 2023/001769	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

19	अजमेरी निशा पति- मोह0 फारुक खान ग्राम- तलखापुर डुमरा पो0- डुमरा थाना- पुनौरा जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19 एफ 2025/006116	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
20	इंदू देवी पति- बच्चा राय ग्राम- सोबरना पो0- सैदपुर झौआ थाना- अवतारनगर जिला- सारण केस फाईल न0- 19 एफ 2026/000445	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
21	रौशन कुमार पिता- राजेन्द्र कुमार ग्राम- किशोरी लला चौक पो0- मधुबनी थाना- टाउन जिला- मधुबनी केस फाईल नं0- 11 एफ 2025/005386	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			13,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,10,000/- (तेरह लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हौस्पिटल,एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड स0 HDFC 0000084 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1141(14)

पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002614 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, (स्वास्थ्य विभाग, पटना) सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/4/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक...

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है-

क्र० स०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बौएलाल चौपाल पिता- मोती चौपाल ग्राम- मदना पो०- नवटोली थाना- यद्रपुर जिला- मधुबनी	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	कमलेश्वरी देवी पति- सोनेलाल शर्मा ग्राम+पो०- माधोपुर दिघरूआ थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			2,50,000	

2 अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002647..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता स० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम .RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

3 चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विंगम का वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1142014)

पटना, दिनांक 22/4/2024

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि वे चेक सं० ~~002677~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई-टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22/4/24
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बी0एस0एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न0-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक.

विषय - मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	गीता देवी पति-स्व0 दिलकेश्वर प्रसाद ग्राम+पोस्ट-परासी थाना-परासी जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	जय नारायण प्रसाद पिता-धनु साव ग्राम-परासी पो0-परासी थाना-परासी जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	भरत राम पिता-सुखदेव राम ग्राम-परासी पो0-परासी थाना-परासी जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	उमेश राय पिता-बालेश्वर राय ग्राम-कोईलवर पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	लक्ष्मी देवी पति-गणेश चौधरी ग्राम+पोस्ट- कोईलवर थाना-कोईलवर जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	शिव रतन पासवान पिता-स्व0 मगर पासवान ग्राम+पो0-कुल्हरीया थाना-कोईलवर जिला भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
7	पार्वती देवी पति-नदेश्वर राय ग्राम+पोस्ट- कोईलवर थाना-कोईलवर जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
8	नागेश्वरी देवी पति- यदु ठाकुर ग्राम-कमता पोस्ट+थाना-परासी जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
9	प्रेमा देवी पति-रघुनदन ठाकुर ग्राम-कमता पोस्ट+थाना-परासी जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
10	समफुल देवी पति-रामनाथ राय ग्राम+पोस्ट-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
11	सीतापती देवी पति-मुखदेव राय ग्राम-बडहरा पो0-बडहरा थाना-बडहरा जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
12	मालती देवी पति-हरिदेव राय ग्राम-बडहरा पो0-बडहरा थाना-बडहरा जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
13	पनवा देवी पति-चद्रदेव सिंह ग्राम+पो0-परासी थाना-परासी जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
14	विजय चौधरी पिता-कामेश्वर चौधरी ग्राम+पो0-परासी थाना-कलेर जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।

15	वृजनदन शर्मा पिता-चहकु शर्मा ग्राम+पो0-परासी थाना-परासी जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	भागवत सिंह पिता-जानकी सिंह ग्राम+पो0-अधेरी थाना-चौरी जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	सीता देवी पति-प्रेम नाथ दास ग्राम-अधेरी पो0-अधेरी थाना- चौरी जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	लाल बाबु प्रसाद पिता-वासुदेव प्रसाद ग्राम+पो0-तिनेरी थाना-मसौढी जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	प्यारो देवी पति-कामेश्वर राम ग्राम+पो0-तिनेरी थाना-मसौढी जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	मीना देवी पति- प्रसाद चौधरी ग्राम+पो0-तिनेरी थाना-मसौढी जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	फुलपातो देवी पति-मुसी चौधरी ग्राम- नदौल पोस्ट-नदौल थाना मसौढी जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	राजगीर ठाकुर पिता-लोरिक ठाकुर ग्राम+पो0- नदौल थाना-मसौढी जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	मगरी देवी पति-तेतर राय ग्राम+पो0- नदौल थाना-मसौढी जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

24	राजेश्वर राय पिता-देवनदन यादव ग्राम+पो0- तिनेरी थाना-मसौडी जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
25	राजेन्द्र सिंह पिता- शिवजी सिंह ग्राम+पोस्ट- नदौल थाना- मसौडी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
26	महादेव महतो पिता- लखन महतो ग्राम+पोस्ट- नदौल थाना- मसौडी जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
27	शत्रुघन सिंह पिता-बच्चु सिंह ग्राम+पोस्ट- नदौल थाना- मसौडी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
28	तिजिया देवी पति-उमेश राम ग्राम+पोस्ट- तिनेरी थाना- मसौडी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
29	गिरजा देवी पति-बाधु चौहान ग्राम+पो0- नदौल थाना- मसौडी जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
30	परवतीया देवी पति- पतिराम सिंह ग्राम+पोस्ट- नदौल थाना- मसौडी, जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
31	देवान्ती देवी पति-राम जीवन यादव ग्राम+पोस्ट- नदौल थाना- मसौडी जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
32	सझारी देवी पति-बचन यादव ग्राम+पोस्ट- नदौल थाना- मसौडी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।
33	सुभाष चन्द्र गिरि पिता-लालदास गिरि ग्राम+पोस्ट- नदौल थाना- मसौडी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार रवीकृत।

34	विनोद साव पिता-देव लाल साव ग्राम+पोस्ट- तिनेरी थाना- मसौड़ी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			3,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,40,000/- (तीन लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 002644 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम गाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 22/4/2026

ज्ञापाक

1143(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 002644 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक..... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	इमराती देवी पति-तेतर पासवान ग्राम+पो० नगवा थाना-काको जिला-जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	अनिता देवी पति-हीरालाल विद ग्राम-रसलपुर पोस्ट-नगवा थाना-काको जिला-जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	श्यामकली देवी पति-कृष्णा चौधरी ग्राम-नगवा पो०-नगवा थाना-काको जिला जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	उमा शकर ठाकुर पिता-राधिका शरण ठाकुर ग्राम-रोहुआ पोस्ट-रोहुआ थाना-वारिस नगर जिला-सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	राम शकर ठाकुर पिता-राधिका शरण ठाकुर ग्राम+पो०-रोहुआ थाना-वरिस नगर जिला-सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	बूज बिहारी ठाकुर पिता-जनार्दन ठाकुर ग्राम-रोहुआ ईस्ट पो0-रोहुआ थाना-वारिस नगर जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	राजेश कुमार ठाकुर पिता-प्रमानंद ठाकुर ग्राम-रोहुआ पो0-रोहुआ थाना वारिस नगर जिला-सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	शशिकान्त ठाकुर पिता-राम निरजन ठाकुर ग्राम+पो0--रोहुआ थाना-वारिसनगर जिला-समस्तीपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	महेन्द्र राम पिता-नथुनी राम ग्राम-मोरसड पोस्ट+थाना-रून्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	राम कृपाल राय पिता-राम नदन राय ग्राम-बुनियादी टोला पो0-पोखुआ थाना रीगा जिला-सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	विलोचन राय पिता-फगुनी राय ग्राम-कल्याणपुर पो0-चंदवारा थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	मरछीया देवी पति-महेन्द्र राय ग्राम-कल्याणपुर पोस्ट-चदवारा, थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	महावीर ठाकुर पिता-कोको ठाकुर ग्राम-कल्याणपुर पो0-चंदवारा, थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	डोमन सहनी पिता-मुसाफिर सहनी ग्राम-इस्लामगज पोस्ट+थाना मनेर जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002617 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 333905000940 खाता धारक का नाम—Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1144(14)

पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002617 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रविन्द्र यादव पिता-रामत्रुंगार यादव ग्राम+पोस्ट-मोकर थाना-कडौना जिला-जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	शारदा कुमारी पति- अवधेश सिंह ग्राम- घघैला पो०- सण्डा थाना- टेकारी जिला- गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सुंदर यादव पिता-सकलदेव यादव ग्राम-गरारी पोस्ट-तेलहा थाना-कोच जिला-गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	लाल बाबु यादव पिता-रोही यादव ग्राम-गरारी पोस्ट-तेलहा थाना-कोच जिला-गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	लालदेव यादव पिता-मुसाफिर यादव ग्राम-रामबीघा पो0-खटगी थाना-मानीकपुर जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	सुनीता देवी पति-केशव प्रसाद गुप्ता ग्राम-गरारी पो0-तेलहा थाना-कोच जिला-गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	फूलन देवी पति-राजेन्द्र यादव ग्राम-तेलहा पो0-तेलहा थाना-कोच जिला गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	दुधेश्वर यादव पिता-सुखाडी यादव ग्राम-गरारी पोस्ट-तेलहा थाना-कोच जिला-गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	नागेन्द्र सिंह पिता-तालकेश्वर सिंह ग्राम-गुलजारबाग पो0-सडा थाना-टेकारी जिला-गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	हसीना खातुन पति-सिराजुद्दीन ग्राम-गरारी पोस्ट-कोच थाना कोच जिला गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	राम छबिला दास पिता-सुगन दास ग्राम-घघैला पोस्ट-सडा थाना-टेकारी जिला-गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	नन्हकु देवी पति-राज नदन यादव ग्राम-गरारी मढीया पो0 तेलहा थाना-कोच जिला-गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

13	रामदेव यादव पिता—रूपलाल यादव ग्राम—गरारी, पोस्ट—तेलहा थाना कोच जिला—गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं 002644..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं 50200021671321 खाता धारक का नाम— **BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **HDFC BANK**, शाखा का नाम— **Patliputra Branch, Kurji (Patna)**, RTGS/IFSC कोड सं **HDFC0002643** में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1146 (14)

पटना, दिनांक 22/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा पत्रधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि रालग्न चेक सं 002644 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापात, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख